

शहीद मंगल पाण्डेय राजकीय महिला महाविद्यालय, बलिया (उ.प्र.)

(संबद्ध: जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया)

परामर्श नीति (Consultancy Policy)

१. प्रस्तावना (Preamble)

शहीद मंगल पाण्डेय राजकीय महिला महाविद्यालय, बलिया (उ.प्र.) की छात्राओं के समग्र शैक्षणिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक तथा मनोसामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए एक सुव्यवस्थित एवं संस्थागत परामर्श व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से यह परामर्श नीति (Consultancy Policy) निर्मित की गई है। इस नीति का मुख्य ध्येय महाविद्यालय के शैक्षणिक संसाधनों एवं प्राध्यापकों की बौद्धिक विशेषज्ञता का अधिकतम उपयोग करते हुए छात्राओं, शोधार्थियों, अभिभावकों, उद्योग, नागरिक समाज तथा अन्य संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण, प्रासंगिक एवं परिणामोन्मुखी परामर्श उपलब्ध कराना है।

२. उद्देश्य (Objectives)

- शैक्षणिक एवं करियर मार्गदर्शन: छात्राओं को उनकी योग्यता व अभिरुचि के अनुरूप शैक्षणिक दिशा, उच्च शिक्षा एवं समसामयिक करियर विकल्पों हेतु सुदृढ़ मार्गदर्शन प्रदान करना।
- प्रतियोगी परीक्षा सहयोग: सिविल सेवा, यूपीसी नेट/जेआरएफ, शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET/CTET) एवं अन्य राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु संस्थागत सहयोग व परामर्श उपलब्ध कराना।
- बाह्य परामर्श सेवाएं: जनपद के उच्च शिक्षण संस्थानों को महाविद्यालय के संकाय सदस्यों की विषयगत विशेषज्ञता से लाभान्वित करना।
- महिला उद्यमिता एवं स्वावलंबन: ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी पृष्ठभूमि की छात्राओं में नवाचार, स्टार्ट-अप, वित्तीय आत्मनिर्भरता एवं महिला उद्यमिता की भावना को प्रेरित व संवर्धित करना।
- संस्थागत सहभागिता: महाविद्यालय के प्राध्यापकों की अकादमिक एवं शोध विशेषज्ञता का व्यापक सामाजिक तथा अंतर-संस्थागत स्तर पर सार्थक अनुप्रयोग सुनिश्चित करना।

३. परामर्श के प्रमुख क्षेत्र (Scope & Areas of Consultancy)

- अकादमिक परामर्श (Academic Consultancy): बहुविषयक अध्ययन (NEP-2020 के अंतर्गत), शोध प्रस्ताव निर्माण, लघु शोध परियोजनाएं एवं उच्चतर अध्ययन के अवसर।
- करियर एवं कौशल परामर्श (Career & Skill Consultancy): रोजगार परामर्श, सॉफ्ट स्किल्स, संप्रेषण क्षमता, डिजिटल दक्षता एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी मार्गदर्शन।
- शोध एवं नवाचार परामर्श (Research Consultancy): विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप।
- सामुदायिक एवं सामाजिक परामर्श (Community Consultancy): महिला अधिकार, लैंगिक समानता, विधिक साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण, वित्तीय समावेशन, मानसिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण जागरूकता।
- संस्थागत परामर्श (Institutional Consultancy): शासन एवं उच्च शिक्षा विभाग के मानकों के अधीन जनपद के उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता संवर्धन में विशेषज्ञ परामर्श।

४. पात्रता एवं परामर्शदाता (Eligibility & Consultants)

- महाविद्यालयी संकाय सदस्य: महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं विषय विशेषज्ञ प्राचार्य की पूर्व अनुमति से आंतरिक एवं बाह्य परामर्श कार्य हेतु अधिकृत होंगे।
- विभागीय विशेषज्ञ एवं प्रकोष्ठ: करियर काउंसलिंग सेल, महिला जागरूकता, आईक्यूएसी एवं संबंधित विभाग संयुक्त अथवा स्वतंत्र रूप से प्राचार्य की अनुमति से परामर्श सत्र आयोजित कर सकते हैं।
- आमंत्रित बाह्य विशेषज्ञ: आवश्यकतानुसार प्रतिष्ठित बाह्य विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकेगा।

५. कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया (Operational Workflow)

परामर्श सेवाओं के सुचारु एवं पारदर्शी संचालन हेतु निम्नलिखित पंच-चरणीय प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:

चरण सं.	प्रक्रिया का चरण	विस्तृत विवरण एवं दायित्व
चरण १	आवेदन / अनुरोध प्राप्ति	छात्रा अथवा बाह्य संस्था द्वारा परामर्श हेतु लिखित प्रारूप या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना।
चरण २	परीक्षण एवं समीक्षा	संबंधित विषय प्रभारी / करियर काउंसलिंग सेल द्वारा अनुरोध की प्रकृति, व्यावहारिकता एवं संसाधनों की समीक्षा।

Amr
Roh
Hish

24/09/26

प्राचार्य

शहीद मंगल पाण्डेय
राजकीय महिला महाविद्यालय
बलिया (उ.प्र.)

चरण ३	संस्थागत स्वीकृति	परामर्श कार्य की रूपरेखा का परीक्षण कर प्राचार्य द्वारा विधिवत लिखित स्वीकृति प्रदान करना।
चरण ४	परामर्श निष्पादन	निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित विशेषज्ञ द्वारा परामर्श सत्र, कार्यशाला अथवा रिपोर्ट का निष्पादन।
चरण ५	प्रतिवेदन एवं अभिलेख	कार्य संपन्न होने के उपरांत विस्तृत प्रतिवेदन (Report) एवं प्रतिभागी फीडबैक आईक्यूएसी के समक्ष प्रस्तुत करना।

६. शुल्क नीति एवं वित्तीय विनियमन (Fee Structure & Finance)

- आंतरिक परामर्श (निःशुल्क): महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्राओं हेतु शैक्षणिक, करियर, व्यक्तिगत एवं कौशल विकास परामर्श पूर्णतः निःशुल्क रहेगा।
- बाह्य संस्थागत परामर्श: शासन के निर्देश एवं मानकानुरूप

७. नैतिक आचार संहिता (Code of Ethics)

- गोपनीयता का संरक्षण: परामर्श के दौरान प्राप्त किसी भी व्यक्तिगत, संस्थागत अथवा शोध संबंधी डेटा की गोपनीयता अक्षुण्ण रखी जाएगी।
- समानता एवं निष्पक्षता: जाति, धर्म, वर्ग अथवा पूर्वाग्रह से परे सभी प्रतिभागियों को समान अवसर व निष्पक्ष परामर्श सुलभ कराया जाएगा।
- तथ्यात्मकता एवं प्रमाणिकता: परामर्श पूर्णतः वैज्ञानिक प्रमाणों, शोध-परक तथ्यों, अकादमिक नैतिकता एवं शासन के वर्तमान नियमों पर आधारित होगा।
- हितों का टकराव (Conflict of Interest): हितों के प्रत्यक्ष या परोक्ष टकराव की स्थिति में संबंधित संकाय सदस्य स्वेच्छा से उस परामर्श कार्य से स्वयं को पृथक् रखेंगे।

८. गुणवत्ता आश्वासन एवं अनुश्रवण (Quality Assurance & Monitoring)

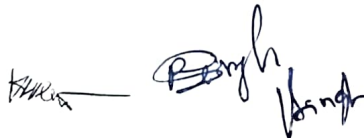
- अभिलेख संधारण: आयोजित प्रत्येक परामर्श सत्र, प्रतिभागी विवरण एवं कार्यवृत्त का सुव्यवस्थित रजिस्टर व डिजिटल रिकॉर्ड आयोजक विभाग द्वारा संधारित किया जाएगा।
- प्रतिपुष्टि (Feedback Mechanism): परामर्श की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु छात्राओं एवं हितधारकों से औपचारिक फीडबैक प्राप्त कर उसका विश्लेषण किया जाएगा।
- आईक्यूएसी समीक्षा: महाविद्यालय की आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) द्वारा प्रतिवर्ष परामर्श नीति एवं उसके क्रियान्वयन की व्यापक समीक्षा की जाएगी।

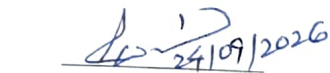
९. नीति की समीक्षा एवं संशोधन (Policy Review & Amendments)

यह परामर्श नीति सामान्यतः प्रत्येक तीन वर्ष में अथवा शासन/विश्वविद्यालय के नए दिशा-निर्देशों एवं आईक्यूएसी की अनुशंसा के आधार पर प्राचार्य के अनुमोदनोपरांत संशोधित एवं अद्यतित की जा सकेगी।

१०. अनुमोदन एवं क्रियान्वयन (Approval & Implementation)

यह परामर्श नीति (Consultancy Policy) शहीद मंगल पाण्डेय राजकीय महिला महाविद्यालय, बलिया की शैक्षणिक, शोध एवं संस्थागत गतिविधियों के गुणवत्तापूर्ण संचालन हेतु अधिकृत रूप से प्रभावी एवं क्रियान्वित मानी जाएगी।


समिति आईक्यूएसी (IQAC)


24/09/2026
प्राचार्य
श.म.पा. राजकीय महिला महाविद्यालय,
शहीद मंगल पाण्डेय
बलिया
राजकीय महिला महाविद्यालय
बलिया (उ०प्र०)